(II)

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th March, 2003.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

(III)

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th March, 2003.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 2003-04 -- CONTD.

श्री दीनानाथ मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मैंने कल कहा था कि बजट चर्चा में भाग लेते हुए मैं सिर्फ गरीबी और बेरोज़गारी, इन दो विषयों तक अपने को सीमित रखूंगा। राजकोषीय घाटे या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोत्तरी की दर या वित्तीय प्रबंधन...

श्री सभापति : एक मिनट... जिन माननीय सदस्यो के स्पेशल मेंशन हैं, वे हाउस में नही लिए जा सकेगे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वे स्पेशल मेंशन अपने नाम सहित और सब्जेक्ट मैटर देकर हाउस की टेबल पर रख दे...**(व्यवधान)**... कल तक कर दीजिए, हाउस एडजॉर्न हो, उससे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, now let him speak.

श्री दीनानाथ मिश्र : सभापति जी, मैंने कहा कि मैं राजकोषीय घाटे या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोत्तरी की दर अथवा वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर अपनी बात नहीं कहूंगा। मैं केवल दो विषयो पर, गरीबी और बेरोजगारी, इन दो समस्याओ पर, जो देश की सबसे बड़ी विकट समस्या है, सबसे भयानक समस्या है, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, इन विषयों पर ही प्रकाश डालूंगा। अपने वित्त मंत्री...**(व्यवधान)**...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : सर, उनकी बात कोई सुन भी रहा है? कोई कैबिनेट मिनिस्टर है? Sir, there is no Cabinet Minister sitting in the House. The hon. Finance Minister should have been here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL) : Sir, I am taking down the notes.

श्री दीपांकर मुखर्जी : हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: No. The Minister should have been here...*(Interruptions)*... His objection is very correct...*(Interruptions)*... ठीक है, बुलवा रहा हूं मैं। यह काम भी आपको करना पड़ेगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी : सर, यह ट्रेंड बहुत खराब है।

श्री सभापति : वह ठीक है, I agree with you.

श्री दीपांकर मुखर्जी : सर, यह पहली बार नहीं है। रेलवे बजट के पहले दिन रेलवे के केबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। आपको मालूम ही है कि सोमवार को डिबेट के समय सब लोग चले गए because the concerned Minister was not there...*(Interruptions)*... The Upper House is not being given the respect. It is not being taken seriously.

श्री सभापति : यह ध्यान रखिए कि मैम्बर्स को ऑब्जेक्शन करने का मौका न मिले। गवर्नमेंट का कोई न कोई रिप्रेजेन्टेटिव यहां होना चाहिए।

(उपसभापति पीठासीन हुई)

श्री दीनानाथ मिश्र : उपसभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट मे, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी दूर करने और रोजगार मुहैया कराने के प्राथमिकता दी है। उनके बजट भाषण का यह सबसे पहला बिन्दु है। लेकिन गरीबी या बेरोजगारी, कितनी भयानक समस्या है, कैसी विकट स्थिति है। इस आंकड़े से यह समझ मे नही आता कि 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दसवी योजना के बेरोजगारो की संख्या का जो आकलन करीब चार-पांच करोड है, यह भी समझ में नही आता। पांच-सात ऐसे गांव है जिनके जीवन से मेरा संबंध है। हम जब वहां पर जाते हैं तो समझ मे आता है कि गरीबी क्या होती है? बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी से त्रस्त लोग, रोजगार भीख की तरह मांगते हैं, बेचैनी से मांगते है, तडपते हुए मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हुए मांगते हैं। अपमान और जिल्लतभरी जिंदगी बेरोजगारो की होती है, इनकी यह जिंदगी घर मे भी होती है, समाज मे भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है। अगर गरीबी और बेरोजगारी जुड़ जाए तो वह दरिद्रता, कंगाली और क्या-क्या कहा जाए? वह बीमारी का घर होती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली, अशिक्षा का घर होती है। बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि पहले के मुकाबले कुछ अधिक ध्यान इस विषय पर दिया जाने लगा है। मैं मानता हूं कि पिछली शताब्दी सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी की शताब्दी थी। जब से मुझे होश है, तब से मैं यह देखता आया हूं

कि लोगो की आकांक्षा यह रही कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी पा जाएं। किसी न किसी सरकारी नौकरी की कोशिश करते हुए ही वे पढ़ते रहे। लोग पढ़ाते रहे और परिवार के लोग उनको आगे बढ़ाते रहे। सरकारी नौकरी की अदम्य आकांक्षा और शुरू के वर्षों मे जब समाजवाद का जोर रहा तब सरकार का आकार भी बढ़ता रहा, नौकरियां भी बढ़ती रही, लेकिन 80 का दशक आते-आते, नौकरियो की मारा-मारी ज्यादा बढ़ गई। हमने देखा कि सरकारी नौकरियां उस तरह से नही बढ़ रही हैं जिस तरह से पहले बढ़ती रही थी। हमने देखा कि नौकरी नही है, नौकरी की संभावना नही है, नौकरी पर जाम लगने लगा है, सरकार का आकार घट रहा है। इसके बावजूद आरक्षण के सवाल पर पूरी राजनैतिक लड़ाई हुई, "न सूत न कपास, जुलाहों मे लट्ठम-लट्ठा" नौकरियां हो नहीं सकती, नौकरियां थी ही नही। आज कोई सरकार, सरकारी नौकरी देकर बेरोजगारी को हल करने की स्थिति मे नहीं हो सकती क्योकि जाम लगा है। नौकरियो पर पाबंदी सी लगी हुई है, क्योकि सरकार मे नौकरियां उलब्ध हैं नहीं। ऐसी हालत में इस शताब्दी मे, इस शताब्दी को स्वरोजगार की शताब्दी होना होगा। पिछली शताब्दी की मानसिकता कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, इससे उबरना होगा । वरना हालत और बिगड़ती जाएगी । मुझे प्रसन्नता है कि स्वरोजगार के लिए अनुकूल अवस्थाएं प्रदान करने के लिए इस बजट मे अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा किया गया है । अगर दसवी योजना के प्रारूप के प्रथम भाग को देखा जाए तो लगता है कि रोजगार की रणनीति बदल रही है । रोजगार की अनुकूलताएं प्रदान करने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं । मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन दसवी योजना के प्रारूप मे दर्ज हैं कि जिस क्षेत्र मे रोजगार की सम्भावनाएं अधिक हों ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए । मैं ऐसा मानता हूं कि जसवन्त सिह जी के बजट मे इस बात पर जोर दिया गया है । कई सेक्टर्स हैं जिन्हे गिनाया जा सकता है । टैक्सटाइल, टूरिज्म, हैल्थ केयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आई.टी.सैक्टर, हॉर्टिकल्चर, कुटीर उद्योग, कृषि, कृषि से संबंधित उद्योग, फार्मा, कम्युनिकेशन ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो अपेक्षाकृत अधिक रोजगार पैदा करते हैं और इन पर जोर दिया गया है । इन नीतिगत परिवर्तनो से रोजगार बढ़ सकते है । जो रोजगार करना चाहे उसके लिए अनुकूल वातावरण, प्रोत्साहन, स्वरोजगार का एक एटमोरिफियर बन सकता है । मैं अपने निजी अनुभव के दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा । गुजरात से राज्य सभा के एक सदस्य ने पिछले साल मुझे एक घटना बताई । वह घटना यह थी कि एक गांव मे चालीस वर्ष का एक व्यक्ति किसी बीमारी से मर गया। पीछे विधवा और दो बच्चे बचे । लोग उस परिवार को भूल गए । समय आने पर, दो-चार महीने गुजर जाने पर, ऐसा होता ही है, अचानक लोगों ने सुना कि उस महिला ने बच्चो के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की । लेकिन वह आत्महत्या करने में, बच्चों को साथ लेकर मरने में सफल नहीं हुई । तब गांव के लोगों का ध्यान गया कि इसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नही है । तब उन्होंने चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसे एक भैंस ले दी । वह भैंस की सेवा करने लगी । दस एक किलो दूध आने लगा । भैंस का चारा, घर का खर्च उठाने के बाद भी पचास एक रुपया रोज बचने लगा । वह नियमित रूप से बचाने लगी, बैंक मे जमा कराने लगी । बैंक वालों को मालूम पड़ा कि नियमित बचत हो रही है तो बैंक वालो ने छह महीने बाद उसे सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो कि बैंक से कर्ज ले लो और दो जानवर और ले लो । उसने दो जानवर और ले लिए । एक लड़का रख लिया और फिर तीन भैंसो से उसकी आमदनी तीन गुनी बढ़ गई । ढाई एक वर्ष के अंदर कई दर्जन जानवर और कई दर्जन रोजगार उसने अपने से पैदा किए । जो महिला निराशोन्मत्त होकर बेरोजगारी और भुखमरी के कारण आत्महत्या करने चली थी उसने अपना रोजगार पैदा किया । उसको थोड़ी सहूलियत मिली । बैंक से मिली, गांव वालो से मिली ।

उसने अपना रोजगार पैदा कर लिया । मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अस्सी प्रतिशत गांवो में पशुपालन की ऐसी ही संभावनाएं हैं । अगर इस तरह का एक माहौल बने, गुजरात जैसा बनाया जाए तो अच्छा होगा । कुछ अन्य राज्यों में इस तरह का है कि पशुपालन से वे अपनी पूरक आमदनी पैदा करते हैं । इससे स्वरोजगार पैदा होता है । इसमें सरकार की भूमिका स्वरोजगार देने की नही है बल्कि एक माहौल और एक सुविधाजनक स्थिति पैदा करने की है । इस जमाने में, इस दौर में सरकारी नौकरी हर किसी के लिए संभव नहीं है, यह हम सब जानते हैं । इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें डिग्रियां तो दी जाती हैं लेकिन रोजगार, प्रोफेशन या कोई काम धंधा करने की स्थिति पढ़ने के बाद भी नही होती । मैं दूसरा उदाहरण देता हूं । जोधपुर मे एक गिरदेकोट घंटाघर नाम की जगह है । वहां कुछ वर्ष पहले शहर भर के कबाड़ी इकट्ठे होते थे । जो कुछ इकट्ठा होता था उसे वहां रखते थे । एक व्यापरी ने देखा कि विदेशी लोग कबाड़ मे बहुत दिलचस्पी रखते हैं । भीड़ होती थी, दस-पांच गोरी चमड़ी वाले लोग इकट्ठे होते थे । व्यापारी ने देखा, बहुत गौर से जांच की, उन्हे परखा तो देखा कि वे लोग कारीगरी की चीजे, टूटी-फूटी चीजे, लकड़ी की, धातु की, हाथी दांत की, और बाकी सब इस तरह की जो चीजे हैं उन्हे खरीद रहे हैं । उसने योजनापूर्वक जयपुर मे एक इम्पोरियम खोला । जयपुर मे ज्यादा पर्यटक आते हैं । धीरे-धीरे सक्रियता ऐसी बढ़ी कि जोधपुर में हस्तकला, हैण्डीक्राफ्ट के उद्योग को बढ़ावा मिला । सरकार की नीति भी रही और लोगो को भी रोजगार की जरूरत थी । इस तरह का एक क्रम चल पड़ा । यहां प्रगति मैदान मे वे स्टाल लगाते हैं । कुछ ही वर्षो में केवल जोधपुर से हस्तकला की वस्तुओ का निर्यात छह सौ पचास करोड़ रुपए वार्षिक तक हो गया है । यह केवल हस्तशिल्प से है । इसमें कई हजार लोगो को रोजगार मिला है । राष्ट्रीय निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है । मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रोत्साहन वित्त मंत्री महोदय ने रोजगार सक्षम क्षेत्रों में दिया है उसका अनुकुल माहौल, अनुकूल असर स्वरोजगार पैदा करने में मिलेगा ।

एक ऐसा क्षेत्र और है जिसे इस बजट मे प्रोत्साहन दिया गया है । यह टैक्सटाइल उद्योग है । वस्त्र उद्योग की एक खास हैसियत है । एक तो यह सबसे ज्यादा रोजगार देता है और दूसरा निर्यात सक्षम है । इसमें निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं । अभी भी पूरे निर्यात मे इसका बहुत बड़ा हिस्सा है । इसमे उत्पाद शुल्क घटाया गया है । ग्यारह सूत्री पैकेज दिया है । इस वस्त्र उद्योग को ...**(व्यवधान)**... क्या मेरा समय खत्म हो गया है ।

उपसभापति : आपकी पार्टी के एक घण्टा इक्कीस मिनट हैं और अभी छह बोलने वाले हैं । मेरे हिसाब से तेरह मिनट आने चाहिए । थोड़ा ज्यादा ही हो गया है । आप जब चाहे उसको खत्म कर दीजिए ।

श्री दीनानाथ मिश्र : ऐसा ही एक उद्योग पर्यटन का है । पर्यटन में भी बढ़ावा दिया गया है । आप अच्छी तरह जानते होंगे कि होटल के एक कमरे के साथ यानी एक अतिथि के साथ चार रोजगार पैदा होते हैं । इसी तरह चिकित्सा सेवा में, हॉस्पिटल के लिए जो सुविधाएं दी हैं, उपस्कर या जीवन रक्षक दवाइयो के लिए जो इस तरह का प्रोत्साहन दिया है, इस क्षेत्र मे भी हॉस्पिटल के एक बेड पर करीब छह लोग रोजगार पाते हैं । इसी तरह आई0टी0 एंड कम्युनिकेशन का मिलाकर एक सर्वे हुआ, उस मे बताया गया कि एक रोजगार के कारण 4 रोजगार पैदा होते हैं । यह सारे रोजगार के लिए प्रोत्साहन हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए जो 10 बड़े कार्यक्रम हैं, महोदय, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ संक्षेप में उस की परिगणना पढ़

देता हूं । पिछले साल स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में 32 लाख रोजगार पैदा हुए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 47 लाख टन अनाज जारी किया गया और उस से रोजगार पैदा हुए, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक स्वास्थ्य वगैरह के लिए 2800 करोड़ रुपए की यह योजना है । इसी तरह प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना 405 करोड़, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, पेयजल व सूखाग्रस्त वगैरह के लिए है । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 60 हजार करोड़ की है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और कॉरीडोर्स वगैरह सब मिलाकर यह अद्‌भुत योजना है और बहुत गति से चल रही है । इस तरह 11 कार्यक्रम हैं जो कि पावरटी एलिवेशन और रोजगार के सिलसिले में हैं ।

महोदया, कल वित्त मंत्री महोदय ने यह दावा किया और यह दावा सच है कि हर साल एक करोड़ रोजगार पैदा हो रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि 52 करोड़ "मैन डेज" इन कार्यक्रमों के तहत पैदा हुए हैं । बाकी अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स में जो रोजगार पैदा हुए, वे अलग हैं । महोदया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि तीन साल पहले पी0सी0ओ0 की संख्या सिर्फ 3 लाख थी, आज 11 लाख पी0सी0ओ0 हैं। हर पी0सी0ओ0 के पास कम-से-कम दो अतिरिक्त लोग काम करने वाले होते हैं । फिर उस के साथ एक-दो काम और जुड़ जाते हैं । तो कम-से-कम 8X3 = 24 लाख लोगों के लिए ये रोजगार पैदा हुए हैं । अगर इन्हें वर्षों में बांट दें तो 7-8 लाख रोजगार बनते हैं जो कि अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं । महोदय, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने नए बेरोजगार पैदा होते हैं, उस के मुकाबले रोजगार उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही मुझे दसवीं योजना के प्रारूप को पढ़कर लगा । फिर भी मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो रोजगार के मामले में, गरीबी उन्मूलन के मामले में कहा है, वह सचमुच सराहनीय है ।

महोदय, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

RE. AMENDMENT TO THE FIRST SCHEDULE TO CUSTOMS TARIFF ACT, 1975

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu & Kashmir) : Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order ?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Madam, since the hon. Finance Minister is present in the House, therefore, this is the proper time for me to raise the point of order. Madam, on 7th of this month, there was a Government Resolution, seeking to amend a section of the Customs Tariff Act, whereby, Customs Duty on so many goods imported from abroad, was sought to be increased, and the Resolution mentioned preferential treatment to certain areas. Madam, this is a very important Resolution, and I had raised a